

प्रेषक

महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

✓ हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्षा

2. हरियाणा राज्य के सभी कार्यालयों में

कार्यरत लेखाधिकारी (बायनेम) ।

यादी क्रमांक टीए-हर-1टी-2017 / 9370-80

दिनांक: 22/12/17

विषय:- सरकार की हिदायते दिनांक 17.04.2017 के तहत 3 प्रतिशत रिजर्वेशन का लाभ देने बारे ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

विषयाधीन मामले में सरकार की हिदायते दिनांक 17.04.2017 के तहत 3 प्रतिशत रिजर्वेशन का लाभ पदौन्नति में Physical Disabled person को दिया जाना है । यदि आपके कार्यालय में कार्यरत कोई लेखाधिकारी इन हिदायतों के अन्तर्गत कवर होता है तो उसके सेवा रिकार्ड की सत्यापित प्रति/मैडीकल बोर्ड दवारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति सहित प्रस्ताव इस विभाग को शीघ्र अति शीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें । ताकि मामले में आगामी कार्यवाही की जा सके ।

संयुक्त निदेशक,

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,

हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

दिनांक:

पृष्ठ क्रमांक टीए-हर-1टी-2017 /

इसकी एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, वि० ले० शाखा को सूचनार्थ एंव आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है ।

8d ✓

संयुक्त निदेशक,

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,

हरियाणा, चण्डीगढ़ ।